प्रेस-नोट दिनांक- 31.07.2025, जनपद-प्रतापगढ़

थाना-संग्रामगढ़, जनपद- प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत नेवादा नहर के पास थाना संग्रामगढ़ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के पैर में गोली लगी व अन्य 02 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किया गया।

घायल नीरज पासी उर्फ कुलदीप भारतीय को ईलाज हेतु सीएचसी संग्रामगढ़ ले जाया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से लूट की सफेद धातु-पीली धातु के आभूषण, 01 मोटरसाइकिल, 01 स्कूटी, 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 तमंचा 12 बोर, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया है।

अभियुक्तों पर जनपद प्रयागराज, जनपद प्रतापगढ़ में लूट, मारपीट, धमकी जैसे संगीन अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 28.07.2025 को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अवसानगंज में वादी से हुई ज्वेलरी लूट की घटना कारित थी, जिसमें थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 31.07.2025 को रात्रि को ASP(W) श्री संजय राय व CO लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व मे थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया मय टीम द्वारा थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत नेवादा नहर के पास के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 01 शातिर अभियुक्त नीरज पासी उर्फ कुलदीप भारतीय पुत्र संतोष भारतीय निवासी मातादीन का पुरवा थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज के बाएं पैर में लगी गोली व अन्य 02 अभियुक्तों, 01. संजीव कुमार उर्फ तूफानी पुत्र बाबूलाल कन्नौजिया निवासी गौहरी थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज, 02. अभिषेक सोनी उर्फ छोटे पुत्र अनिल सोनी निवासी फाफामऊ साइजिंग गली थाना फाफामऊ प्रयागराज को मौके से गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु सीएचसी संग्रामगढ़ ले जाया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से लूट की सफेद धातु-पीली धातु के आभूषण व 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं 01 अदद तमंचा 12 बोर, 01 खोखा कारतूस 12 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर,01 मोटर साइकिल, 01 स्कूटी बरामद की गई।

दिनांक 28.07.2025 को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अवसानगंज में वादी से हुई ज्वेलरी लूट की घटना के संबंध में थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 137/25, धारा 309(4), 311, 115(2), 351(3) बीएनएस बनाम 04 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में टीमें गठित की गई थीं। घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों से साक्ष्य संकलन व निरंतर की जा रही तलाश/घेराबंदी के क्रम में आज दिनांक 31.07.2025 को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत नेवादा नहर के पास थाना संग्रामगढ़ पुलिस से हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे पुलिस हिरासत में इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है तथा मौके से 02 अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों की तलाश एवं विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

01- अन्तर्जनपदीय अभियुक्त संजीव कुमार उर्फ तूफानी पुत्र बाबूलाल कन्नौजिया निवासी गौहरी थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 74/2021 धारा 147,149,323,325,336,504,506 भादवि थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज।

02. मु0अ0सं0 201/2023 धारा 147,323,427,504,506 भादवि थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज।

03. मु0अ0सं0 137/25, धारा 309(4), 311, 115(2), 351(3) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रयागराज।

<u>घायल/ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

घायल अभियुक्त नीरज पासी उर्फ कुलदीप भारतीय पुत्र संतोष भारतीय निवासी मातादीन का पुरवा थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तार संजीव कुमार उर्फ तूफानी पुत्र बाबूलाल कन्नौजिया निवासी गौहरी थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तार अभिषेक सोनी उर्फ छोटे पुत्र अनिल सोनी निवासी फाफामऊ साजन गली थाना फाफामऊ प्रयागराज।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया मय हमराह उ0नि0 सूबेदार राय, उ0नि0 प्रशान्त कटियार, उ0नि0 विनय वर्मा, उ0नि0 गुरदीप सिंह, का0 धनन्जय श्रीवास्तव, का0 रामनरेश जाट, का0 अजीत प्रताप सिंह, का0 केवल साहू, का0 वीरेन्द्र कुमार, का0 रामनिवासी यादव थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना–बाघराय, जनपद प्रतापगढ़</u>

जानलेवा हमले व लूट के प्रकरण में 03 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त ₹5300 की नकदी बरामद

पैसों के लेनदेन के विवाद में जानलेवा हमला करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार – थाना बाघराय पुलिस की त्वरित कार्रवाई

अभियुक्तों को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत बलोसनापुर ग्राउण्ड से सिया की ओर जाने वाले रोड पर अशोक सिंह के ट्यूबल वेल के पास से गिरफ्तार किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण -</u>

दिनांक 01.08.2025 को वादी वरुण उर्फ राजू साहू पुत्र स्व. अयोध्या प्रसाद निवासी ग्राम देवरपट्टी कटरा बिहार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर एक लिखित तहरीर दी गई, कि दिनांक 31.07.2025 को रात्रि में ग्राम देवरपट्टी में वादी के भाई राजेश साहू पर पूर्व विवाद एवं रंजिश के चलते गांव के ही व्यक्तियों द्वारा लोहे की रॉड, धारदार हथियार, लाठी, डंडों से लैस होकर जानलेवा हमला किया गया।

हमले के दौरान बीच-बचाव करने आए वादी के भांजे – शैलेन्द्र साहू पुत्र स्व. मदन लाल साहू को भी अभियुक्तगणों द्वारा हॉकी, डंडा, धारदार हथियार व लोहे की रॉड से पीटा गया। हमलावरों ने प्रार्थी के भाई राजेश साहू को मरा हुआ समझते हुए उसकी जेब से रुपये छीन के ले गये। हमले में राजेश व शैलेन्द्र को चोटें आई हैं। घायल की स्थिति खतरे से बाहर है।

उक्त घटना के संबंध में थाना बाघराय पर मु0अ0सं0 153/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/351(3)/310(2) बीएनएस बनाम 05 नामजद अभियुक्तों का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 01.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमति करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह उ0नि0 लालजी राम, हे0का0 गौतम प्रसाद, हे0का0 राजेन्द्रनाथ तिवारी, का0 अंशू प्रजापति व का0 रविन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय में पंजीकृत मु0अ0सं0 153/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/351(3)/310(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त 01. शुभम मौर्या उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र शिवशंकर मौर्या नि0ग्राम देवरपट्टी बिहार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ, 2. धर्मेन्द्र सिंह उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र दुर्योधन सिंह नि0ग्राम देवरपट्टी बिहार थाना बाघराय प्रतापगढ, 03. धीरेन्द्र प्रताप सिंह उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र दुर्योधन सिंह नि0ग्राम देवरपट्टी बिहार थाना बाघराय प्रतापगढ को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत बलोसनापुर ग्राउण्ड से सिया की ओर जाने वाले रोड पर अशोक सिंह के ट्यूबल वेल के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से घटना से संबंधित छिनैती के 5300/- रुपये बरामद किये गये, जिसके संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(3) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-
01. शुभम मौर्या उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र शिवशंकर मौर्या नि0ग्राम देवरपट्टी बिहार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।
02. धर्मेन्द्र सिंह उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र दुर्योधन सिंह नि0ग्राम देवरपट्टी बिहार थाना बाघराय प्रतापगढ।
03. धीरेन्द्र प्रताप सिंह उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र दुर्योधन सिंह नि0ग्राम देवरपट्टी बिहार थाना बाघराय प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह उ0नि0 लालजी राम, हे0का0 गौतम प्रसाद, हे0का0 राजेन्द्रनाथ तिवारी, का0 अंशू प्रजापति व का0 रविन्द्र कुमार थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

बयान:-
"थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवरपट्टी में हुए जानलेवा हमले की घटना को पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की गई। नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। घायल व्यक्तियों का समुचित उपचार कराया जा रहा है।

जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमजन से अपील है कि किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय से कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।"

थाना-कंधई, जनपद-प्रतापगढ

थाना कंधई पुलिस को बड़ी सफलता – चोरी के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
थाना कंधई पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के कुल 7800/- रुपये नगद बरामद
थाना कंधई पुलिस द्वारा थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत शेखनपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का विवरण-

थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत आसलपुर बाजार से वादी की दुकान से आरोपी द्वारा पैसे चोरी कर लेने के प्रकरण में थाना कंधई पर वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 184/25 धारा 305/331 (4) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना कंधई प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शिवम सिंह मय हमराह हे का0 राजेश प्रसाद, हे का0 सन्तोष कुमार द्वारा चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति, सदिग्ध वाहन, तलाश वाछिंत व सक्रिय अपराधी, पेन्डिग विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कंधई पर मु0अ0स0 184/25 धारा 305/331 (4) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त राजा पुत्र जीतलाल नि० ग्राम गौरीगंज थाना सोरांव जनपद प्रयागराज को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत शेखनपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 7800/-रूपये नगद बरामद किये गये। उक्त बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
राजा पुत्र जीतलाल नि० ग्राम गौरीगंज थाना सोरांव जनपद प्रयागराज।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>
पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 31.07.2025 की रात्रि लगभग 2 बजे भय्याराम की दुकान के पीछे के दरवाजे की कुन्डी तोड़ उनके गल्ले में रखे पैसा करीब 8000 रुपया चुरा कर भाग गया था, जो आज मैं उक्त पैसो को अपने घर पहुँचाने के लिए शेखनपुर तिराहा के पास साधन का इन्तेजार कर रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया। उसमें से कुछ पैसा खाने पीने में खर्च हो गया है शेष पैसा मेरे पास है जो मेरे पास से बरामद हुआ है।

<u>बरामदगी</u>
चोरी के 7800/-रूपये नगद बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
उ0नि0 शिवम सिंह मय हमराह हे का0 राजेश प्रसाद, हे का0 सन्तोष कुमार थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़</u>

हत्या का प्रयास, मारपीट व धमकी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत कैलीडीह मोड़ से गिरफ्तार किया गया-

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>
थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 17-01-25 को ग्राम कैलीडीह,थाना फतनपुर में आरोपीगणों द्वारा वादी व वादी के परिजनों को एकराय होकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डन्डा व धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से मार-पीट व जान मारने की धमकी दी गई। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 14/2025 धारा 115(2)/352/351 (3)/109 (1) बीएनएस बनाम 09 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह कां0 सुशील पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना फतनपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2025 धारा 115(2)/352/351 (3)/109 (1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त अनिल कुमार यादव पुत्र स्व. विश्वनाथ यादव निवासी ग्राम कैलीडीह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत कैलीडीह मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
अनिल कुमार यादव पुत्र स्व. विश्वनाथ यादव निवासी ग्राम कैलीडीह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह कां0 सुशील पटेल थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना-हथिगवां, जनपद- प्रतापगढ</u>

हत्या का प्रयास, मारपीट, धमकी, के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है-
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कनपुरियान वेंती से गिरफ्तार किया गया-

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>
दिनांक 23.05.2025 को पुरानी रंजिश को लेकर(रास्ते के निर्माण) को लेकर वादी ग्राम कनपुरियान वेंती, थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ के पुत्र को गांव की ही व्यक्तियों द्वारा एकराय होकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डन्डा व धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से मार-पीट व जान मारने की धमकी दी गई। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना हथिगवां में मु0अ0सं0 88 / 2025 धारा 191 (2) / 191 (3)/190/127(2)/109/117 (2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा◌ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री नन्द लाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 रामप्रताप सिंह व का0 विजय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना हथिगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0- 88/2025 धारा 191 (2) / 191 (3)/190/127(2)/109/117 (2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त तेजभान सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम कनपुरियान वेंती थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कनपुरियान वेंती से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
तेजभान सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम कनपुरियान वेंती थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 रामप्रताप सिंह व का0 विजय कुमार थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 श्री गिरिजा प्रसाद सिंह मय हमराह का0 नारायणजी के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्रध्तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0न0 998/2010 मु0अ0सं0 172/2010 धारा 467, 468, 471, 419, 420 भादवि थाना रानीगंज प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त दिलीप कुमार सरोज पुत्र सीताराम निवासी ग्राम वालीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र रानीगंज के वालीपुर गांव के बाहर बाग से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दिलीप कुमार सरोज पुत्र सीताराम निवासी ग्राम वालीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री गिरिजा प्रसाद सिंह मय हमराह का0 नारायणजी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 गिरीश धर दुबे मय हमराह हे0 का0 अमित कुमार के द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वाहन, वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु० नं0 1658/2020 मु0अ0स0 373/04 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त झगरू पुत्र सोम्मारी निवासी महेशपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र लीलापुर के ग्राम महेशपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्त झगरू पुत्र सोम्मारी निवासी महेशपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 गिरीश धर दुबे मय हमराह हे0 का0 अमित कुमार थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।